"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुत्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 395]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 26 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-14/खाद्य/2017/29-1. — आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 सहपठित उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. का. आ. 2414 (अ) दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त आदेश में.-

अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 3 एवं 4 का लोप किया जाये.

No. F 4-14/Food/2017/29-1. — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with Order No. S. O. 2414 (E), dated 13th June, 2018 issued by the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealer (Licensing and Restriction on Hoarding Order, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said order,-

In Schedule-II, serial number 3 and 4 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.